IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI

FORM OF ORDER SHEET

आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–27/2015

रेखा कुमारी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	23.09.2016	आदेश यह वाद उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 220 दिनांक 10.09.2015 के माध्यम से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ। इसके बाद पुनः सभी पक्षों को नोटिस करके वाद की कार्रवाई शुरू की गई। अपीलार्थी ने अपने अपील का आधार यह दिया है कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई ने वाद सं0–47/2013–14 प्रिती कुमारी, सविता कुमारी बनाम रेखा कुमारी में अपना आदेश दिनांक 26.04.2015 तथ्यों एवं विधि की गलत व्याख्या करके पारित किया है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि अपीलार्थी शादीशुदा है एवं शादीशुदा होने के नाते अपने पिता से कोई संबंध नहीं है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय का प्रिती कुमारी को चयनित करने का आदेश गलत है, क्योंकि उनकी ननद जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी को हटाने का एवं प्रिती कुमारी को चयनित करने का जो आदेश पारित किया है, वह भी गलत है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय ने पुत्री शब्द की गलत व्याख्या की है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं इस अपील में दाखिल सभी पक्ष के कागजात का अवलोकन किया। सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन सुना। यह स्पष्ट है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–238 महापुर पूर्वी, प्रखंड झाझा पर सेविका की बहाली दिनांक 03.07.12 को हुई थी एवं इसके लिए चयन की तिथि को अपीलार्थी के पिता श्री बौधी प्रसाद यादव उस समय झाझा यूनिट में ही कार्यरत थे जैसा कि लोक सूचना अधिकारी–सह–वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेल दानापुर के द्वारा दी गई सूचना से स्पष्ट होता है जो निम्न प्रकार है :– " श्री बौधी प्रसाद यादव, पिता–भोला प्रसाद यादव, लोको पायलट (पैसेंजर) में दिनांक 01.05.2003 से झाझा यूनिट में कार्यरत थे। पुनः पदोन्नति पश्चात् लोको पायलट (मेल) में दिनांक 04.08.2008 से अभी तक लगातार झाझा यूनिट में ही कार्यरत हैं। " इसकी पुष्टि Crew Controller T.R.S. Jhajha के प्रमाण पत्र दिनांक 25.9.13 से भी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी के	

875

पिता झाझा में ही अपीलार्थी के सेविका के रूप में चयन के समय कार्यरत थे। जहाँ तक अपीलार्थी का यह कथन कि शादीशुदा बेटी का पिता से कोई संबंध नहीं होता है, की बात है, इसके संबंध में आँगनबाड़ी नियुक्ति मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका–4.9 स्पष्ट कहती है कि " संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदारों का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है–पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)। " इसमें शादीशुदा पुत्री के संबंध में कोई छूट नहीं दी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी आँगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन की पात्रता नही रखती है।

जहाँ तक प्रिती कुमारी के चयन के विरूद्ध अपीलार्थी के आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका–4.10 निम्नवत है:–

" विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विकेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विकेता, घुमन्तु किरासन तेल के विकेता) की पत्नी/बहू/रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। (रिश्तेदार से अर्थ है– पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री।) " बाद में ज्ञापांक 6989 दिनांक 19.12.2013 द्वारा इसको संशोधित कर निम्नवत किया गया था :–

" संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों के पुरूष विकेताओं (जैसे–जन वितरण प्रणाली विकेता, घुमन्तु किरासन तेल के विकेता) की माँ, पत्नी, बहू, रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। [रिश्तेदार से अर्थ है– भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन] तथा इसके साथ महिला विकेताओं (जैसे–जन वितरण प्रणाली विकेता, घुमन्तु किरासन तेल के विकेता) के मामले में पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहू, पुत्री और ननद सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी। "

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत केन्द्र पर चयन एवं पैनल निर्माण के समय प्रिती कुमारी की ननद सोनो प्रखंड में जन वितरण प्रणाली विकेता होने के कारण प्रिती कुमारी चयन या पैनल में रखे जाने की अर्हता नहीं रखती थी। अपने ननद के जन वितरण प्रणाली विकेता होने को प्रिती कुमारी अपने जवाब में स्वीकार भी करती हैं और प्रमाण स्वरूप रेखा कुमारी द्वारा उनके ननद की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति की छायाप्रति भी दाखिल की गई है। जहाँ तक प्रिती कुमारी का यह कहना कि उनकी ननद के दूसरे प्रखंड में जन वितरण प्रणाली विकेता होने के नाते वे योग्यता रखती हैं, की बात है, स्पष्ट है कि प्रखंड से बाहर होने की दशा में अर्हता होने संबंधित संशोधन समाज कल्याण विभाग के द्वारा चयन के बाद की तिथि में किया गया है एवं उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है।

जहाँ तक सविता कुमारी के चयन का प्रश्न है निम्न न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.04.2015 में लिखा है कि " पैनल कमांक 2 की आवेदिका श्रीमती सविता कुमारी का चयन सेविका के पद पर इस लिए नहीं किया जा सकता है कि विभागीय मार्गदर्शिका–2011 की

कंडिका 4.7 में इस बात का उल्लेख है कि आंगनबाड़ी सेविका उस गांव की बहु होना चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गांव की बेटी स्थायी रूप से मां के यहाँ निवास करती है, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (जो छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हो) उपलब्ध हो तो उनके चयन पर भी विचार किया जाएगा। श्रीमती सबिता कुमारी का नाम चयन के समय मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा उनके पास भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र भी नहीं है। श्रीमती सबिता कुमारी आवासीय प्रमाण संख्या 2337/10 दिनांक 07.12.2010 का आवेदन पत्र में संलग्न किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में बेटी होने के स्थिति वाले शर्त ये पुरा नहीं करती। विभागीय मार्गदर्शिका की कंडिका–4.7 के अनुसार सबिता कुमारी सेविका पद हेतु अहर्त्ता नहीं रखती है।" सविता कुमारी स्वयं अपने आवेदन में स्वीकार करती हैं कि बहाली की तिथि के समय पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं थी एवं उनका मतदाता पहचान पत्र भी दिनांक 09.08.2013 को निर्गत है।

उपरोक्त के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–238 झाझा प्रखंड में दिनांक 03.07.12 को हुई आमसभा द्वारा तैयार किये गये पैनल के सभी तीन अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य पाया जाता है एवं विद्वान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई के प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.04.2015 को निरस्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में पुनः चयन की प्रकिया शुरू करें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Kamlesh 23/9/16
जिला पदाधिकारी,
जमुई।

Kamlesh 23/8/16
जिला पदाधिकारी,
जमुई।